## EN OLD EN

## बिहार सरकार (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार (कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना—800 014 संख्या—FC/45/2020- 👟 🐧

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) -सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वन विभाग, बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक-21/06/202/

विषय— श्री शंकर सिंह द्वारा गया जिलान्तर्गत मारनपुर ग्राम के खाता संख्या—46, प्लॉट संख्या—40, थाना—विष्णुपद में गया—वजीरगंज—हिसुवा NH-82 पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.03225 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सेद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/44829/2020/4370, दिनांक 26.11.2020

महाशय.

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमित प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमित (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 11.06.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है—

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 26.11.2020 में निहित कंडिका	अनुपालन   विकास क्षेत्र विकास के किए के कि		
A:	Conditions which need to be com Stae Forest Department.	plied prior to handing over of forest land by the		
1	The User agency shall transfer the	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये		

const of raising and maintain the compensatory afforestation (100 trees plantation and maintenance for 10 year) at the current wage rate in consultation with state forest department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal.

प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षों तक रख—रखाव हेतु रू० 7,52,635.00 (रू० सात लाख बावन हजार छः सौ पैतीस) मात्र की राशि को Account No. 1506219944829897, BIHAR CAMPA, Union Bank of India. New Delhi. में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 10.06.2021 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. PUNBR52021061011919734 एवं है | उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

t (	the Net Present Value (NPV) for the 0.03225 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.03225 है॰ अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रू० 6.26 लाख प्रति हे॰ की दर से कुल रू० 20,189/— (बीस हजार एक सौ नवासी रूपये) मात्र को Account No. Account No. 1506219944829897, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, New Delhi, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 10.06.2021 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. PUNBR52021061011919734 एवं हैं   उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।	
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through e-protal	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 10.06.2021 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e- challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।	
5	The FRA, 2006 certificate as per ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval. The comlete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.  Violation of any of these conditions will amount to violation of forest	जिला पदाधिकारी, गया द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण-पत्र की इस पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है।  प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का	
6	(Conservation) Act, 1980  The compliance report shall be uploaded on e-portal	उल्लंघन नहीं किया गया है। प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।	
B:	Conditions which need to be st forest land to the Usr Agency by	rictly complied on field after handing over of the State Forest Department but the compliance ubmitted prior to Stage – II approval:	
1	for diversion shall remain unchanged.	परिवर्त्तन नहीं किया जायेगा।	
2	The state forest department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost. Plantation site for the purpose shall be identified by the State Forest department	त साश प्रयाक्ता एजसा के द्वारा जेगा करा का है। अंतिम स्वीकृति के उपरांत उक्त कार्यों को विभाग के द्वारा किया जायेगा।	
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Suprem Court of	प्रस्तावित वन भूमि के लिय अगर परिष्य पर्ग राहर की वृद्धि या संशोधन होती है, ते उसका भुगतान करेंगे।	
4	fuel station should be as per	इन शता का अनुपालन उनके द्वारा किया जान त	
а	E 1 station should generally be na	rt प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है वि er इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा	

1.	0 : 11 :	
b	Suitable signs and markings showing the location of the fuel station may be provided without disturbing the	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
	road side plantations.	
С	Entire Periphery of the retail outlet should be lined up with tree plantation at a close spacing of 1.0 to 1.5 meter keeping an	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
d	Suitable plantations should be raised by the user agency along the approach road, separator	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
5	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall in consultation with SFD undertake approvprivate	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
6	The User Agency shall ensure that the loaboures and staff engaged in construction acitivity do not damage the nearby forest flora and fauna.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
7	The lay out plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Central Government.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
8 (a)	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(b)	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the existence	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(c)	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
9	Any other conditions that the Ministry of Environment, Forest & Climate change may stipulate	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I) में अधिरोपित सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 0.03225 हे॰ सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage – II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/– (राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा), –सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना। ज्ञापांक — FC/45/2020 - 509

दिनांक- 21/06/2021

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, गया अंचल, गया /वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया एवं श्री शंकर सिंह, मोहल्ला—खटकचक मोड, मरानपुर, पोस्ट—चाँद चौरा, थाना—विष्णुपद, जिला-गया, पिन-823001 को सूचना हेतु प्रेषित।

(राकंश कुमार) न मुख्य त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) -सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना।

## **Proforma**

1	Name of Regional Office	Eastern	Region, R	anchi			
2	State/Distt./ Forest Division	Bihar/C	Gaya/ Gaya	Forest Division, Gaya.			
	to Which the proposal Relates						
3	Name of User Agency nature	Shri Shankar Singh / BPCL Retail Outlet					
	of proposal						
4	Extent of forest area involved	0.03225 Ha.					
5	Whether Original, or	Original					
	extension						
6	If extension of lease, Pl	-NA-					
	clarify if proposal involves						
	additional forest area, and if						
	so, specify						
7	Date of 1st stage Clearance	26.11.2020					
8	8 Extent of CAMPA charges head wise viz.						
	a.Compensatory Afforestation	7,52,63	35.00				
	b. Additional CA	-NA-					
	C. Penal CA	-NA-					
	d. Catchment Area Treatment	-NA-					
	e. Wildlife Management Plan	-NA-					
	f. Additional Charges for	-NA-					
	diversion of area falling under						
	notified/Protected areas						
	g. Net present Value	20,189	0.00				
	h. Any other charges/Levies	-NA-					
	(Pl Specify)						
9	Details of Bank RTGS/NEFT	S.No	MODE	UTR No. & Date	Amount	Head	
	head-wise against items		Remtt.				
	indicated in paragraph	1	e-challan	PUNBR5202106101	20,189/-	NPV	
		2		1919734 dt. 10.06.2021	7,52,635/-	CA	
				Total-	7,72,824/-		
10	Whether deposited by RTGS,	As abo	ve.				
	if so, the particulars & date of						
	remittance						
11	Bank in which deposited,	All abo	ove e-challa	an sent to Union Bank o	f India, Nev	v Dell	
	with date of deposition.	on dt.	10.06.2021		6.2	21	
12	Any other remarks				6.00		

(Rakesh Kumar)

Signature of APCCF (CAMPA)-cum-Nodal Officer (FC), Bihar.